भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES | भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

R-1699-II/02

1• सत्यनारायण पिता कुनकाई राम ब्रा० उम्र 60 साल, पेशा कृषि,

2• यज्ञनारायण पिता कुनकाईराम ब्रा० उम्र 52 साल पेशा खेती एवं नोकरी,

3• रंगनाथ पान्डेय पिता कुनाकाई राम उम्र 50 साल पेशा खेती व नोकरी,

4• मु०० केशरिया स्व० पत्नी सरयू प्रसाद, ब्रा० उम्र

5• रमाकांत पान्डेय तनय

6• रामाकांत पान्डेय,

7• दीपक कुमार पान्डेय तीनो के पिता श्री सरयू प्रसाद पान्डेय,

8• मिथलेश प्रसाद तनय गोविन्ददेव पान्डेय,

9• अवध बिहारी तनय जगददेव पान्डेय,

10• भारत प्रसाद पान्डेय }

11• शत्रुघ्न प्रसाद पान्डेय, } तीनो के पिता श्री रामसिया पान्डेय,

12• सीताराम पान्डेय तीनो }

13 •रामराज पान्डेय }

14• राजाराम पान्डेय, } दोनो के पिता राधिका प्रसाद पान्डेय,

15• जवाहरलाल पान्डेय }

16• नंद किशोर पान्डेय,

17 कुलदेव पान्डेय, } पिसरान श्री रामसखा पान्डेय,

18 छत्रपाल प्रसाद पान्डेय, }

19• आनंद प्रसाद पान्डेय, } सभी निवासी ग्राम बडी हर्रई सभी बालि ब्रा०

तहसील सिरमोर, उप तहसील वि० सेमरिया थाना सेमरिया जिला रीवा- अपीलाण्ट

बनाम

1• प्रेमलाल पान्डेय पिता रामस्वरुप पान्डेय

2• मु०० शिवकुमारी स्व० पत्नी रामस्वरुप पान्डेय, दोनो निवासी ग्राम बडी हर्रई तहसील सिरमोर, थाना सेमरिया, जिला रीवा म०प्र० ----- अना०गण

निगरानी विरुद्ध आदेश श्री माननीय अपर आयुक्त महोदय रीवा के राजस्व प्र०क्र० 645/अपील/99-2000 आदेश दि० 21•6•2002 सदर्भित खिलाफ अपील

(40)

सत्य नारायण चौरसिया / प्रेम लाल पाण्डेय ① सं.स्था. 47 /२
R. 1689-दो/02 रीवा ② श्री देवेन्द्र शुक्ला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-4-16 (5)	- आवेदक व उसके अधिवक्ता सूचनोपरान्त उपस्थित नहीं। - अनावेदक की ओर से श्री देवेन्द्र शुक्ला अधिवक्ता उपस्थित। - वाद सूचित आ०22 नियम-9 के आवेदन पर सुनवाई एवं आदेश हेतु प्रतीक्षा। आदाले, 0.F 11.5.16 [signature]	H.F. 11/05/16 [signature]
11/5/16 11.00 बजे	1- प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अभिभाषक श्री तुलसीदास मिश्रा की पुकार करायी गयी, किन्तु सन्तत उपरांत उपस्थित नहीं हो प्रकरण पुनः समय 1.00 बजे पेश हो।	
11-5-16 1.00 बजे	3- प्रकरण रखा गया। आवेदक तथा अभिभाषक की पुकार करायी गयी, किन्तु उपस्थित नहीं है। प्रकरण समय 4.00 बजे लार्ग पेश हो।	
11-5-16 4.00 बजे	4- प्रकरण रखा गया। आवेदक तथा अभिभाषक की पुकार लगायी गयी, किन्तु उपस्थित नहीं है। 5. अनावेदक की ओर से श्री देवेन्द्र शुक्ला एड. उप.। 6. प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक तथा अभिभाषक लगातार सन्तत उपरांत लगातार पेशियों से उपस्थित नहीं हो रहे है तथा आज पुकार पर उपस्थित नहीं है। अतः प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 7. आदेश की प्रति के साथ अधी. न्याया. का अभिलेख वापस किया जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा० द० हो। [signature]	

शाखे

[signature]